**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।**

**–: कार्यालय आदेश :–**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025 / XXX(2) / 2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा–17 (1)(ख)–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम एवं पदनाम | वर्तमान तैनाती स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री लीलाधर पपनैं क्षेत्र प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, पैंसिया जनपद–अल्मोडा | सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना, नैनीताल | निर्गत आदेश पद रिक्त होने के उपरान्त ही लागू होगा |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0 / –
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**

**पत्रांक** 834 **/ स्था0–01 / वा0स्थाना0–क्षे0प्र0अ0 / 2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, मौलेखाल–अल्मोडा।
3– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा / नैनीताल।
4– मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोडा / नैनीताल।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।**

**–: कार्यालय आदेश :–**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण**

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम एवं पदनाम | वर्तमान तैनाती स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री दीन प्रकाश, क्षेत्र प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, बमराडी जनपद–बागेश्वर | पशु सेवा केन्द्र, सीर जनपद–बागेश्वर | पारस्परिक स्थानान्तरण |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**

**पत्रांक** 835 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–क्षे0प्र0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, बागेश्वर/गरूड–बागेश्वर।
3– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।**

**–: कार्यालय आदेश :–**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण**

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम एवं पदनाम | वर्तमान तैनाती स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री अनवर अहमद, क्षेत्र प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, सीर जनपद–बागेश्वर | पशु सेवा केन्द्र,बमराडी जनपद–बागेश्वर | पारस्परिक स्थानान्तरण |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**

**पत्रांक** 836 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–क्षे0प्र0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, बागेश्वर/गरूड–बागेश्वर।
3– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।**

**–: कार्यालय आदेश :–**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण**

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम एवं पदनाम | वर्तमान तैनाती स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | श्री रमेश सिंह थापा, क्षेत्र प्रसार अधिकारी, | कार्या0–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ | पशु सेवा केन्द्र, सिरकुच जनपद–पिथौरागढ़ | पारस्परिक स्थानान्तरण |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**

**पत्रांक** 837 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–क्षे0प्र0अ0/2026–27,** **दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, मूनाकोट–पिथौरागढ़।
3– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
4– मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**

## कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

### –: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण**

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम एवं पदनाम | वर्तमान तैनाती स्थान | नवीन तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्रीमती प्रमिला गोबाडी, क्षेत्र प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, सिरकुच जनपद–पिथौरागढ़ | कार्या0–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ | पारस्परिक स्थानान्तरण |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**

**पत्रांक** 839 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–क्षे0प्र0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, मूनाकोट–पिथौरागढ़।
3– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
4– मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
**अपर निदेशक।**